सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आषाढ़ 18, गुरूवार, शाके 1942–जुलाई 9, 2020 *Asadha 18 , Thursday, Saka 1942–July 9, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड पाली

(अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

घोषणा

जयपुर, जुलाई 06, 2020

एफ.2(04)सानि/एएस/2019-20/डी-93 राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम **2013** के तहत् राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(150) राज-6/2016/02 दिनांक 27/01/2017 के निर्देशानुसार हनुमान मन्दिर से इन्द्रेश्वेर महादेव सडक के निर्माण, विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला पाली की तहसील रानी में में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव	सडक परियोजना का नाम
1	पाली	रानी	इन्द्रवाडा	हनुमान मन्दिर से इन्द्रेश्वेर महादेव सडक के निर्माण (डी.एफ.सी.सी.)

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा "**सामाजिक आर्थिक विकास समिति नया रलावता, पोस्ट-गरूडवासी तह. चाकसु जिला -जयपुर (राजस्थान) 303901**" एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जावेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझाओं/आपत्तियों को समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बिन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. पी.पी.पी. माध्यम के तहत विकसित किये जाने वाली परियोजनाओं हेतु अधिनियम की धारा 2(2)(a)(ii) के प्रावधानानुसार प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक होगी।
6. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
7. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्ण /सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र :-
सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड पाली, जिला पाली (राजस्थान)
फोन नं0 9414135835

समाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सामाजिक आर्थिक विकास समिति
1- **श्री भरत लाल मीना** (**परियोजना निदेशक**)
सम्पक न.- 09414228071
2- **श्री कल्याण सिंह** (**टीम लीडर**)
सम्पक न.- 09214228071
3- **श्री बी.एल. मीना** (**सामाजिक विशेषज्ञ**)
सम्पक न.- 09414816655
कार्यालय**- प्लाट न**. 11, **वार्ड न**. 19, **कृषि मण्डी के सामने चाकसु** 303901 **जिला जयपुर** (**राजस्थान**)
ई-मेल savscks@gmail.com

मनवर अली,
उप सचिव (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।